FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
उनवान सरकार बनाम शाहिद
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
प्रा0पत्र नम्बर 15/211/2022 दायर दिनांक 28.07.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2022	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के शीघ्र सुनवाई प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक रजि0 संख्या एच.आर.–74–9832 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना नारायणपुर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि थाना के मुकदमा सं0 57/2022 में जप्तशुदा वाहन एचआर–74–9832 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः जप्तशुदा वाहन को छोड़ दिये जाने पर मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। पत्रावली पूर्व से नियत दिनांक 02.01.2023 को पेश हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

प्रा०पत्र सुपुर्दगी उनवान - शाहिद बनाम सरकार प्र.सं. 15/211/2022
28/07/2022

27/12/2022	वकील प्रार्थी के प्रा०पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि के जमानत/सुपुर्दनामा पेश किया। जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया। SHO नारायणपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।
	जिला कलक्टर अलवर (राज०)